न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 136/**17 (वाद)**

1. श्री मोडसिंह पिता रघुनाथसिंह उर्फ भंवरसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री देवीसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
2. श्री विजयसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
3. श्री डूंगरसिंह पिता दलपतसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
4. श्री लहरसिंह पिता दलपतसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
5. श्री हिम्मतसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
6. श्री निर्भयसिंह पिता शिवसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
7. श्री मोहनसिंह पिता शिवसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
8. श्री जवानसिंह पिता हमानसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
10. पटवारी, पटवार हल्का सालेराकलां तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4, 5

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 21.01.2020

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां की आराजी नम्बर 1181, 1182 किता 2 रकबा 14 बीघा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सोहनसिंह पिता गमेरसिंह 1/4, मोडसिंह पिता भंवरसिंह 1/2, शिवसिंह जवानसिंह पिता हमानसिंह 1/4 हि.ब. खातेदारी हक से दर्ज हैं। सोहनसिंह, शिवसिंह का देहावसान हो चुका है। सोहनसिंह के वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 5 है एवं शिवसिंह के वारिस प्रतिवादी सं. 6, 7 हैं। नकल जमाबन्दी साथ संलग्न हैं।

2. यह कि वर्णित आराजीयात में मुझ वादी के नाम पर 1/2 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है जिस पर मैं वादी अपने परिवारजन सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं।
3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम भंवरसिंह अंकित है जबकि मुझ वादी के पिता का वास्तविक सही नाम रघुनाथसिंह है जो कि मुझ वादी के नाम से जारी समस्त राजकीय एवं अर्द्धराजकीय दस्तावेज ग्राम पंचायत नामरी द्वारा जारी तस्दीक, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी परिवार राशनकार्ड में भी स्पष्ट रूप से अंकित है तथा अन्य खातेदारी की कृषि भूमियों में भी पिता का नाम यही अंकित हैं।
4. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में मुझ वादी के पिता रघुनाथ सिंह के स्थान पर भंवरसिंह का अंकन हो जाने से मुझ वादी को भारी कठिनाई का सामना करना पड रहा हैं तथा उक्त कृषि भूमि के और अधिकतम विकास करने हेतु बैंक संस्था आदि से ऋण वगैरा भी प्राप्त नहीं कर पा रहा हॅू इसलिये मैं वादी उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने पिता का नाम भंवरसिंह के बजाय रघुनाथ सिंह घोषित करा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हॅू जिसके लिये यह वाद पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत है।
5. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ़ मामला हैं क्योकि उक्त वर्णित कृषि भूमि मेरे पिता का रघुनाथसिंह के बजाय भंवरसिंह नाम अंकित हो गया हैं जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम रघुनाथसिंह ही है और इन्ही नामो से मेरे राजकीय एवं अराजकीय दस्तावेज बने हुए है। इसलिये उपरोक्त भंवरसिंह के बजाय रघुनाथसिंह का नाम अंकन किये जाने की घोषणा करने से किसी भी व्यक्ति का कोई क्षति एवं असुविधा नहीं होगी बल्कि उपरोक्त अनुसार घोषणा नहीं होने से मेरे को अतुलनीय एवं परिमित हानी होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा आंकना असम्भव होगा। सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मेरे पक्ष में हैं।
6. यह कि वादीगण का वाद कारण पटवारी हल्का से खातेदारी की नकल लेने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
7. अतः प्रार्थना हैं कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में मुझ वादी

मोड़सिंह पिता भंवरसिंह के नाम के बजाय मोड़सिंह पिता रघुनाथसिंह नाम की खातेदारी की घोषणा करा इसी अनुसार नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन कराये जाने की डिक्री फरमाई जावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 6 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कियें। प्रतिवादी सं. 4, 5 द्वारा उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार किया।

9. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री मोडसिंह का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 2, आधार कार्ड प्रदर्श 3, राशन कार्ड प्रदर्श 4, विक्रय पत्र प्रदर्श 5 पेश किये।

10. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में वादी के वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति जाहिर की।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादी के नाम पर दर्ज हैं। वादी का वास्तविक नाम मोडसिंह पिता रघुनाथसिंह है जबकि राजस्व रेकार्ड में सेहवन से वादी का नाम मोडसिंह पिता भंवरसिंह दर्ज कर दिया गया है, जिसे संशोधन किया जाने की प्रार्थना की हैं।

12. वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज के रूप में ग्राम पंचायत नामरी का प्रमाण पत्र दिनांक 11.05.2017 की फोटो प्रति प्रदर्श 1ए, मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 2ए, आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श 3ए, राशन कार्ड की प्रति प्रदर्श 4ए, विक्रय पत्र की नकल प्रदर्श 5ए पेश की गई जिसमें वादी के पिता का नाम रघुनाथसिंह होना जाहिर आया हैं। वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम गलत होने से वादी को काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा हैं। प्रतिवादी सं. 4 व 5 द्वारा भी उपस्थित होकर वादपत्र को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के पिता का नाम भंवरसिंह गलत अंकन होने से भंवरसिंह के बजाय रघुनाथसिंह संशोधन

किया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां की आराजी नम्बर 1181, 1182 किता 2 रकबा 14 बीघा भूमि में वादी का नाम मोडसिंह पिता भंवरसिंह के बजाय मोडसिंह पिता भंवरसिंह उर्फ रघुनाथसिंह संशोधन किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मोडसिंह पिता रघुनाथसिंह उर्फ भंवरसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री देवीसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
2. श्री विजयसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
3. श्री डूंगरसिंह पिता दलपतसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
4. श्री लहरसिंह पिता दलपतसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
5. श्री हिम्मतसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
6. श्री निर्भयसिंह पिता शिवसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
7. श्री मोहनसिंह पिता शिवसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
8. श्री जवानसिंह पिता हमानसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
10. पटवारी, पटवार हल्का सालेराकलां तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 136/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां की आराजी नम्बर 1181, 1182 किता 2 रकबा 14 बीघा भूमि में वादी का नाम मोडसिंह पिता भंवरसिंह के बजाय मोडसिंह पिता भंवरसिंह उर्फ रघुनाथसिंह संशोधन किया जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.01.2020 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.07 12:04:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: